तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

करते हुए उपरोक्त आवेदक को पट्टा-पत्र बाबत भूमि सम्बन्धित स्थानीय दस्तावेजों के अनुसार आवेदक के पिता का नाम शिवपाल है परन्तु आवेदक के पिता का देहान्त होने पर विरासतन नामान्तकरण दर्ज करने के पश्चात शिवपाल की जगह पालाराम का दिया जो गलत है आवेदक के पिता का नाम पाला की जगह शिवपाल दुरुस्त करने का निवेदन किया गया है जिसके कारण अपार्थी का पट्टा के आधार पर जमाबन्दी पट्टा-पत्र पेश किया गया है रहने पट्टा-पत्र के पश्चात तहसीलदार द्वारा जमाबन्दी पट्टा अपार्थी नं. 2 के पक्ष में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए गलत दर्ज किया आवेदन पत्र मंजूर किया गया। जिसके आवेदक का पट्टा-पत्र पत्रावली होने पर स्वीकार किया जाता न्यायोचित प्रतीत होता है अतः -

आदेश

आवेदक का पट्टा-पत्र अ० धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम सोजा की ढाणी पंचमण्डल आजादी कलां की जमाबन्दी सम्वत 2014-2077 के खाता सं. 98 की कु.नं. 1 पर आवेदक के पिता पाला के स्थान पर पालाराम उर्फ शिवपाल दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार झुंझुनूं उपखण्ड राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त कर पालना करे। आवेदक के हक हिस्से पर बैंक ऋण का अंकन बरकरार रहेगा। आवेदक आदेश प्रति सम्बन्धित बैंक में पेश कर अपना बैंक [illegible] नाका बैंक ऋण-पत्र तहसीलदार को [illegible] पत्रावली फैसल शुमार [illegible] के बाद तकमीली डायरी दर्ज [illegible] आदेश सुनाया गया।

15.03.2021

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairv
Date: 2021.04.01 11:09:17 IST
Reason: SelfAttested